

राजस्थान सरकार

पालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर

(पोठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) कैम्प

आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी

की रिपोर्ट तथा तहसीलदार

पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 138 के अनुसरण में ग्राम

जिला की जमाबन्दी सम्बन्ध

दर्ज प्रविष्टि के निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	जयपुर-श. का	204	जयपुर-श. का कावागा	जयपुर-श. का कावागा
		45	शिव डी बलीराज	शिव डी बलीराज

प्रभारिता अधिकारी
पंच लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा. कलक्टर

क्रमांक :- 95

दिनांक :- 7/6/22

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्रार्थी श्री को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

पोठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा. कलक्टर